फूल, फीता, अर्थी

सड़क पर सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां ऐसे भागीं जैसे कोई बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हाथ लग गया हो। आगे पीछे ब्रेक लगे और बत्तियां नचाकर जब जवानों ने बंदूक तानते हुए गठरी नीचे रखने को कहा, तो असल में पूरे मुल्क के विकास का नकाब उतर गया। वो कोई कुख्यात स्मगलर नहीं बल्कि बत्तीस साल का बिरजू था, जिसकी मैली धोती और थरथराते घुटनों के बीच चादर में कोई सोना या गैरकानूनी हथियार नहीं बल्कि उसकी छह साल की बेटी चंदा की ठंडी लाश लिपटी थी। सब इंस्पेक्टर साहब ने अपनी वर्दी का रुआब झाड़ते हुए तुरंत सेफ सिटी गाइडलाइंस और धारा एक सौ चौवालीस की पोथी खोल दी कि सड़क पर ऐसे खुलेआम लाश ढोना नियमों के सख्त खिलाफ है, भला अस्पताल की एंबुलेंस क्यों नहीं बुलाई।

बिरजू ने रोते हुए बताया कि मोर्चरी के बाहर जो चमचमाता डिजिटल कियोस्क लगा है, उसने साफ समझा दिया कि आज के नए भारत में सांस टूटना भले मुफ्त हो पर श्मशान जाने के लिए यूपीआई का बैलेंस जरूरी है। अस्पताल का बाबू पीपीपी मॉडल की नियम पुस्तिका सीने से चिपकाए बैठा था और बारह सौ रुपये का ऑनलाइन पेमेंट न होने पर दया की जगह ऑडिट का डर दिखा रहा था।

सबसे खूबसूरत तमाशा तो यह था कि बाहर अस्पताल को डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला एलईडी बोर्ड जगमगा रहा था और गैरेज में सरकारी शव वाहन गेंदे के फूलों से सजकर वीआईपी आराम फरमा रहा था, क्योंकि अगली सुबह माननीय मंत्री जी को उसका पुनर्लोकार्पण करके अखबारों में अपनी मुस्कान छपवानी थी।

जब वायरलेस पर कंट्रोल रूम ने पूछा कि क्या कोई संदेहास्पद वस्तु बरामद हुई, तो पहली बार खाकी वर्दी का गला रुंध गया और उसने सच उगल दिया कि कोई खतरा नहीं बस एक लाचार बाप जा रहा है।

तभी हाईवे से किसी नेताजी का वीआईपी काफिला हवा चीरता हुआ निकला और बिरजू ने अपनी छह साल की दुनिया को दोबारा कंधे पर लादकर पगडंडी नापना शुरू कर दिया। पुलिस की लग्जरी पेट्रोलिंग कार का हाईटेक एआई कैमरा उस नंगे पैर चलते बाप को स्क्रीन पर ट्रैक तो बहुत कायदे से कर रहा था, बस उसके पूरे कोड और एल्गोरिदम में इतनी तमीज का कोई सेंसर नहीं था जो यह नाप सके कि उस लाचार रीढ़ पर असल में इस पूरे सड़े हुए सिस्टम का पाप लदा हुआ है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सघन कार्रवाई
20 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित

इंदौर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश के निर्देशन में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, खाद्य नमूना संग्रहण एवं जनजागरूकता की कार्रवाई निरंतर की जा रही है।

द करी किचन, स्कीम नंबर 78, इंदौर

दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोई में खाद्य पदार्थ खुले रखे पाए गए, तैयार खाद्य पदार्थों पर टैगिंग नहीं थी, डस्टबिन खुले पाए गए तथा खाद्य पदार्थों का भंडारण व्यवस्थित नहीं था।

जेप्टो स्टोर, सिलिकॉन सिटी

क्रीमिया डेट्स खराब होने संबंधी शिकायत के आधार पर स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण एवं स्टोर के अभिलेखों की जांच के दौरान शिकायत में उल्लेखित संबंधित ब्रांड एवं बैच नंबर की डेट्स उपलब्ध नहीं पाई गईं।

श्री झन्नाट कचौरी एवं झन्नाट कचौरी सेंटर, सिलिकॉन सिटी

दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने संग्रहित किए गए।

श्री झन्नाट कचौरी से तैयार कचौरी एवं मिर्च के 2 नमूने तथा झन्नाट कचौरी सेंटर से कचौरी, मैदा एवं सोयाबीन तेल के 3 नमूने लिए गए।

जय श्री जगदीश्वर नमकीन, स्वीट्स एवं डेयरी, द्वारकापुरी

प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर मलाई बर्फी एवं मिल्क केक के 2 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

लव यू पिज्जा एंड सैंडविच, पाटनीपुरा चौराहा

प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर नितिन राय द्वारा बताया गया कि मोमोज किसी अन्य दुकान से खरीदे जाते हैं।

इस जानकारी के आधार पर मोमोज निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया गया, जहां मोमोज का निर्माण होते पाया गया। निर्माण स्थल से कच्ची खाद्य सामग्री पनीर एवं मैदा के 2 नमूने तथा लव यू पिज्जा एंड सैंडविच से शिकायत में उल्लेखित वेज स्टीम्ड मोमोज का 1 नमूना, कुल 3 नमूने मानक स्तरों की जांच हेतु संग्रहित किए गए।

स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड, निपानिया, इंदौर

व्हाट्सएप पर प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खाद्य लाइसेंस में दर्ज प्रभारी व्यक्ति एवं नामांकित व्यक्ति मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए तथा उनके संबंध में संतोषजनक जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

दर्दनाक सड़क हादसा: रात तीन बजे तेज़ रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों में से एक की मौत दो घायल

इन्दौर (ईएमएस) एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दो अन्य नाबालिग घायल हो गए हैं उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा संयोगितागंज थाना क्षेत्र में हुआ और मृतक युवक का नाम आदिल उम्र उन्नीस साल है जबकि उसके घायल साथियों के नाम अल्लू उम्र सोलह साल तथा अल्फेज उर्फ रब्बा उम्र सत्रह साल है।

मृतक आदिल ऑटो मैकेनिक का काम करता था और हादसे के समय अपने दोनों नाबालिग साथियों के साथ नाश्ता करके लौट रहा था कि शिवाजी वाटिका के पास हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कल देर रात करीब 3 बजे हुए इस हादसे के दौरान आदिल पिता जावेद शेख निवासी मथुरावाली गली अपने दो नाबालिग दोस्तों अल्लू और अल्फेज के साथ सरवटे बस स्टैंड से चाय-नाश्ता करके बाइक से लौट रहा था। तभी शिवाजी वाटिका के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आदिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अल्लू और अल्फेज उछलकर दूर जा गिरे।

घटना के बाद कार सवार लोग वाहन मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस को प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर लगने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग में जा घुसी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आदिल के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवा, फॉर्च्यूनर चालक की तलाश कर रही है।

राठौर तीर्थ धाम में बनेगा सर्व गोत्र देवी-देवता मंदिर

इंदौर। राठौर समाज के सभी गोत्रों के कुलदेवी-देवताओं की कृपा और आशीर्वाद को एक ही तीर्थ स्थल पर समर्पित करने के उद्देश्य से श्री राठौर तीर्थ धाम, उज्जैनिया में सर्व गोत्र देवी-देवता मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया है। इस धार्मिक पहल के माध्यम से समाज के सभी गोत्रों की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक एकता को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी 25 अक्टूबर 2026, रविवार को तीर्थ धाम में विशेष धार्मिक आयोजन होगा। श्री राठौर तीर्थ धाम के प्रमुख संत रामनारायण राठौर एवं मीडिया प्रभारी गोविंद राठौर (राठौर क्रांति) ने जानकारी देते हुए बताया कि समाजबंधु अपने-अपने कुलदेवी-देवताओं के मंदिर से श्रद्धापूर्वक गोला सुपारी को पूजन कर उनसे कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद गोला सुपारी को कुलदेवी-देवता के मंदिर में रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें ,पूज्य देवी-देवता अपनी छाया, कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि श्री राठौर तीर्थ धाम की भूमि पर उनकी पावन छत्रछाया सदैव बनी रहे।

वकील के लापरवाही की सजा पक्षकार को नहीं - हाईकोर्ट

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दीवानी मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया है. वकील की गलती या लापरवाही का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगतना चाहिए। अदालत ने 1093 दिनों की देरी से मामला दायर किए जाने के बावजूद एकतरफा डिक्री निरस्त करने के आवेदन पर सुनवाई का रास्ता खोल दिया है ।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने देरी को माफ करते हुए निचली अदालतों के आदेश निरस्त कर दिए. मामले को पुनर्विचार के लिए ट्रायल कोर्ट भेज दिया। साथ ही 50 हजार रुपये जमा कराने की शर्त भी लगाई गई। न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने ट्रायल कोर्ट की अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के लिए टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आम पक्षकार कानून की जटिलताओं से परिचित नहीं होता है. उसे वकील की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में वकील की गलत सलाह या चूक का दंड पक्षकार को देना न्यायसंगत नहीं है।

लोकनायक की जयंती पर परिचर्चा का आयोजन

देवास,पवनयादव । सम्पूर्ण क्रांति की अवधारणा के जनक, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 124वीं जयंती एवं समतामूलक समाज की रचना के पक्षधर, समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी विचार मंच देवास द्वारा इटावा स्थित एक निजी गार्डन में लोहिया के लोकतंत्र बचाओ अभियान पर परिचर्चा आयोजित कर स्कूली बच्चों को लेखन सामग्री का वितरण किया गया।

आयोजक जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव धर्मेन्द्र तिवारी ने बताया कि परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ समाजवादी चिंतक अभिभाषक अनिल त्रिवेदी, समाजवादी विचारक स्वरूप नायक एवं हिन्द मजदूर सभा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिओम सूर्यवंशी ने अपने विचार व्यक्त किए।

अनिल त्रिवेदी ने परिचर्चा को संबोंधित करते हुए कहा कि लोकनायक जेपी एवं लोहिया ने आजादी की लडाई को मजबूती के साथ लडकर देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता एवं गैर बराबरी के लिए भी संघर्ष किया।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध जेपी के द्वारा चलाए गए सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन ने भ्रष्टाचार युक्त सरकार को उखाड फेंकने का काम किया। लोकनायक जयप्रकाश के विचार हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी रहेंगे।

सीपीएम द्वारा ग्रामीण अंचल में विरोध प्रदर्शन

इंदौर। करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित किए जाने के साजिश करता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा लिए जाने एवं जनतंत्र पर हमले के विरोध में एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर सीपीएम द्वारा ग्रामीण अंचल में भी आम ग्रामीणों के बीच मोदी सरकार द्वारा ज्ञानेश कुमार के सहयोग से वोटो मे कि जा रही हेरा फेरी के प्रति खुलासा किया और मतदान के प्रति अपने अधिकार को लेकर जागरूक रहने की बात सीपीआईएम जिला सचिव का अरुण चौहान द्वारा रखी गई। वोट चोर गद्दी छोड, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा,के नारो के साथ ज्ञानेश कुमार के पुतले भी जलाए गए जिसमे महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी और आगे भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा प्रदर्शन मे मुख्य रूप से काशीराम नायक, भादर सिंह, सोहेल खान,सीताराम भाई, संजय वशुनिय, मनोहर डाबर शामिल थे

HFR-HPR आईडी नहीं बनाने वाले 38 चिकित्सालयों को एक माह का नोटिस

इंदौर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हेल्थ फेसेलिटी रजिस्ट्री (।।स्न्नक्र) तथा हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (।।क्क्र) में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने वाले इंदौर के 38 चिकित्सालयों को अब एक माह का नोटिस जारी किया जाएगा।

समयावधि में आवश्यक कार्यवाही नहीं करने पर संबंधित चिकित्सालयों के पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार जिले के चिकित्सालयों को ।।स्न्नक्र-।।क्क्र आईडी बनाने के लिए पूर्व में निर्देशित किया गया था। इस संबंध में पत्र जारी कर अस्पतालों को स्मरण भी कराया गया था। इसके बाद भी कई चिकित्सालयों द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। इसी क्रम में 58 चिकित्सालयों को पत्र जारी कर तीन दिवस के भीतर ।।स्न्नक्र-।।क्क्र आईडी बनाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित तीन दिवस की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी 38 चिकित्सालयों द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि ।।स्न्नक्र के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों तथा ।।क्क्र के अंतर्गत संबंधित संस्थानों में कार्यरत पात्र हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का पंजीयन किया जाना आवश्यक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाने और स्वास्थ्य संस्थानों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में इन रजिस्ट्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करने वाले चिकित्सालयों के विरुद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम, 1973) एवं नियम, 1997 (यथा संशोधित 2021) के अंतर्गत एक माह का नोटिस जारी कर नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई संपन्न

देवास,अंतिमयादव / जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर संजीव सक्सेना और कन्हैयालाल तिलवारी ने आवेदकों की समस्याएं सुनी। 65 आवेदन प्राप्त हुए उन पर त्वरित सुनवाई करते हुए डिप्टीह कलेक्ट र द्वय ने समस्यालओं के निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि भूमि का सीमांकन, बैंक खाते में जमा राशि दिलाए जाने, जलकर में रियायत दिलाई जाने, बिजली बिल कम कराने, पेंशन शुरू कराने, बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने, नामांकन, बंटवारा, रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाने, कृषि भूमि का नामांतरण कराने, नालियों की साफ-सफाई करने सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

मदिरा के अवैध परिवहन, विक्रय और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई तेज करें

आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए निर्देश

इंदौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज आबकारी विभाग के कार्यों एवं गतिविधियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी सहित विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि मदिरा के अवैध परिवहन, विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखी जाए। इस संबंध में संचालित अभियान को और अधिक तेज करते हुए प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार उन्होंने विभागीय कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश भी दिए।

आबकारी आय में 22.87 प्रतिशत की वृद्धि

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से सितंबर 2026 तक इंदौर जिले में आबकारी विभाग को कुल 1,175 करोड़ 47 लाख 84 हजार 187 रुपये की आय प्राप्त हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 956 करोड़ 66 लाख 68 हजार 600 रुपये की आय प्राप्त हुई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में आबकारी आय में 22.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी आय का वार्षिक लक्ष्य 2,431 करोड़ 7 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। सितंबर 2026 तक प्राप्त आय वार्षिक लक्ष्य का 48.35 प्रतिशत है।

173 मदिरा दुकानों का निरीक्षण, 3,137 विभागीय प्रकरण दर्ज

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक जिले में संचालित 173 कंपोजिट मदिरा दुकानों का सतत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में कुल 3,137 विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इनमें से 2,354 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 33 लाख 24 हजार 250 रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। शेष 746 प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मदिरा का निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (स्न्क्क) से कम तथा अधिकतम विक्रय मूल्य (स्न्र्क्क) से अधिक दर पर विक्रय करने के मामलों में कुल 37 विभागीय प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 26 प्रकरणों में 92 लाख 23 हजार 79 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जबकि शेष 11 प्रकरणों में 25 लाख 8 हजार 257 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन सभी प्रकरणों में शुल्क अधिरोपित होने पर कुल राशि 1 करोड़ 17 लाख 31 हजार 336 रुपये होगी। समग्र रूप से 3,137 प्रकरणों में से 2,354 सामान्य विभागीय प्रकरणों तथा 26 निराकृत स्न्क्क-स्न्र्क्क प्रकरणों सहित कुल 2,380 प्रकरणों में 1 करोड़ 25 लाख 47 हजार 329 रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है।

अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई में 4,173 प्रकरण

बैठक में बताया गया कि 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर 2026 तक आबकारी विभाग द्वारा जिले में कुल 4,173 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इस दौरान 34,275 लीटर अवैध मदिरा तथा 76,071 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। जब्त मदिरा एवं अन्य सामग्री का अनुमानित मूल्य 2 करोड़ 66 लाख 65 हजार 458 रुपये है।

इसके अतिरिक्त 98 वाहन जब्त किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 72 लाख 53 हजार 900 रुपये है। जब्त मदिरा, वाहनों एवं अन्य सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 4 करोड़ 39 लाख 19 हजार 358 रुपये बताया गया है।